न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गोरव अग्रवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 16/2020
प्रविष्टि दिनांक 20–2–2020

बंशी पुत्र हुकमा जाति खटीक निवासी ग्राम सोप तह0 उनियारा जिला टोंक राज0
–अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप तहसील उनियारा जिला–टोंक राजस्थान
–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 14–10–2019

उपस्थिति : (1) श्री सीताराम विजय अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

<u>निर्णय</u> दिनांक 25–11–2020

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने आदेश दिनांक 14–10–2019 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 2872 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम सोप पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर 1000/रू0 शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर तीन माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत रूप से नोटिस नहीं दिया ओर न ही साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया गया है जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धन्तों की अवहेल्ना हुई है। अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। न ही अपीलान्ट भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा करेगा। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट पर अपीलान्ट को दोषी माना गया है, जबकि पटवारी हल्का से क्रास करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवंश गलत रिपोर्ट अपीलांट के खिलाफ की है। अतः: अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:03:27 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 2872 रकबा 0.01 है0 किस्म बारानी

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

वाके ग्राम सोप पर कब्जा कर बाड़ा व कबाड़ डाल कर नाजायज अतिक्रमण कर रखा है। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट को नोटिस दिया गया है नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली संख्या 67/18 निर्णय दिनांक 15–11–2918 से बेदखल किया गया है। अतिक्रमी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, अपीलान्ट न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें अकिंत किया है कि उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2872 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा पर बाड़ा व कबाड़ डाल कर अतिक्रमण किया है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर से अपना कब्जा हटा लिया है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार सोप से समक्ष दिनांक 24–2–2020 को शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि मेने आराजी खसरा नम्बर 2872 रकबा 0.01 है0 पर से मौके से कब्जा हटा लिया है ओर अब मेरा उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है। नायब तहसीलदार सोप द्वारा अपने पत्र क्रमांक 438 दिनांक 28–2–2020 से न्यायालय हाजा में रिपोर्ट प्रेषित की गई है जिसमें अंकित किया गया है कि बंशी पुत्र हुकमा जाति खटीक निवासी ग्राम सोप आराजी खसरा नम्बर 2872 रकबा 0.01 है0 पर से मौके से कब्जा हटा लिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14–10–2019 से अपीलान्ट को दी गई सिविल जेल की सजा अपास्त की जाती है तथा शेष निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25–11–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:03:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner